न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0अधि0)
कोर्ट सं0–1,गोरखपुर।

सिविल निगरानी सं०–135/2023

सरस्वती –––––––– बनाम –––––––– कुशमावती

दिनांक–20.02.2025

निस्तारण प्रार्थना पत्र 11क2

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना–पत्र 11 क 2 नियत है।

प्रार्थना–पत्र 11 क 2 आदेश 22 नियम 3 एवं 11 जाप्ता दीवानी निगरानीकर्तागण द्वारा इस आशय का दिया गया है कि दौरान निगरानी सरस्वती देवी की मृत्यु दिनांक 13.01.2024 को हो गयी है। जिसके वारिस निगरानीकर्ता सं0–2 व 3 पहले से पक्षकार है। ऐसी स्थिति में मेमो आफ निगरानी में निगरानीकर्ता सं0–1 के मृत्यु के बावत् संशोधन करना आवश्यक हो गया। इसप्रकार निगरानीकर्तागण द्वारा मेमो आफ निगरानी में निगरानीकर्ता सं0–1 सरस्वती देती के नाम के आगे "मृतक दौरान निगरानी" दर्ज किये जाने तथा निगरानी के पैरा 1 के बाद मजीद पैरा 1 अ दर्ज किये जाने की याचना की गयी है।

रेस्पान्डेन्ट द्वारा आपत्ति कागज सं० 13 ग प्रस्तुत किया गया है। आपत्ति के माध्यम से रेस्पान्डेन्ट द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र वरासत असत्य तथ्यों पर आधारित है तथा वेग व मिसन्सीव्ड है। निगरानीकर्ता ने मृतका सरस्वती के सभी वारिसानों का नाम दर्ज नही किया है। इसप्रकार रेस्पान्डेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र 11 क 2 खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 11 क 2 शपथ–पत्र 12 ग से समर्थित है। निगरानीकर्ता सं० 1 सरस्वती देवी की मृत्यु दौरान मुकदमा दिनांक 13–01–2024 को हुई तथा प्रार्थना पत्र दिनांक 21–03–2024 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण समस्त पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त किया जाना चाहिए। प्रतिस्थापन कार्यवाही का उद्देश्य महज मुकदमें को संचालित करना होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रार्थना–पत्र 11 क 2 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 11 क 2 स्वीकृत किया जाता है। निगरानीकर्तागण के वांछित संशोधन अन्दर सप्ताह किया जाये। पत्रावली अग्रिम आदेश हेतु दिनांक 18–03–2025 को पेश हों।

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश
(भ्र०नि०अधि०), कोर्ट सं०–1, गोरखपुर।

Digitally signed by PRAVEEN KUMAR SINGH
Date: 2025.02.20 17:21:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court